

12.7.17

पत्रावली कोर्ट कोम्प सांगवा पर
पेशा वाद पत्र का तथ्य दुस प्रकार है कि
ग्राम तिलोली के आराजी नम्बर 289
2 बीघा 2 बिरवा बाकी के नाम पर 100
वर्ग / वादीगण के नाम विरासत से
जमाबंदी सन्वत् 2018 से 2031 के वादीगण
के नाम रवसरा नम्बर 100 से 2 बघा 2 बीघा
13 बिरवा मुमि दर्ज है और उसे के
अनुसार वादीगण मुमि पर वादीगण
पर उपयोग उपरोक्त करते चले आ रहे हैं
परन्तु सन्वत् 2053 से 2056 से रवसरा
नम्बर 289 रवाका 02 बीघा 02 बिरवा
ही दर्ज हुई / जवा की वादीगण के नाम
पर 2 बीघा 10 बिरवा दर्ज होना चाहिये

इस प्रकार वादी के अधिकार भूमि
वाम दक्षिण है

अतः अधिकार भूमि वादीगण के पास
वेजरत रेखाई में दर्ज वाद स्वतंत्र
कारतवार घोषित किया जाये।

पन्नावली परतुत दरतापेज्यो
वा भव लुक्कस विषय गण, वादी
सारा पडासी अन्य सहस्वाते वारे वा
पुक्त्वादी नही कतापा गपा है। किस स्वतंत्र
वेजरेसे मे से विल्ली भूमि वम होनी है
वा अपधारण करसे के लिए सम्बन्धित
वा फसवार कस्तया जाना अपुवरपवुथी
साथ ही समस्त पडासी स्वतंत्र वारे
रवावा कनवशाम्परतुत नही विषय
गपा है.

अपेक्षा

वादी वा वाद इक्कीकार विषय जात
है। वादी वारा पडासी अन्य सहस्वाते वारे
वा पत वादी नही कतापा गपा है। किस
स्वातंत्र्य के हिस्से मे से विल्ली भूमि वम
होनी है

वादी वाद वा वाद रेखु नही होत
से स्वतंत्र विषय जात है

इकाँ कारेकेस अपना अपना बह
कौर

आज दिनांक 12.7.2018 को वोट
केस्य आगवा पर निर्णय करे आमा
मुतापा गपा।

पन्नावली फेराल गमार हे वारे
गावर से वाम हो।

सहायक कलक्टर !
फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति रेनु मीना आर0ए0एस0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा
कोर्ट नाम्य श्रीगवा

1. श्री प्रमोद लाल पुत्र	उनवान	
2. " सुरवमल पिता	अंबर लाल शर्मा	जिवासी तिलारसी
3. " गोपाल पिता	"	"
	"	"
	जता	वर्षिका

तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादी

दावा बागत- 85,85 रुं व 32 रुं, 188 अ. ति. ए.
मुकदमा नम्बर :- 231/06
निर्णय दिनांक :- 12.7.17

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादी द्वारा पडीसी अन्य महसुलेदारों के प्रतिवादी नहीं कन्साय गये हैं जिस खाते पर यह से से नितनी भूमि वगैरे होनी है. वादी का वादोपेसु नहीं होने से स्वारीज विभा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 12.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाड़ा